

विवरण - (आवेदक द्वारा भरने हेतु)

नया ग्राहक मौजूदा ग्राहक के मामले में, मौजूदा ऋण खाता संख्या/ग्राहक आईडी

पैन नंबर या फॉर्म 60 (यदि पैन नंबर नहीं है तो कृपया फॉर्म 60 भरें)

ग्राहक के प्रकार: व्यक्ति

प्रथम नाम
मध्य नाम
अंतिम नाम
विवाह पूर्व नाम (यदि कोई है)
पिता/पति/पत्नी का नाम
माता का नाम*

जन्म तिथि* DDMMYY उम्र वर्ष लिंग: पुरुष महिला ट्रांस जेंडर

नागरिकता भारतीय

वैवाहिक स्थिति विवाहित अविवाहित अन्य आश्रितों की संख्या

योग्यता स्नातकोत्तर स्नातक पूर्वस्नातक उच्चतर माध्यमिक मैट्रिकुलेट मैट्रिकुलेशन से नीचे अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

निवास खुद का मकान किराए पर सरकारी आवास कंपनी लीज़ पैतृक घर ससुराल

अधिवास का प्रकार अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) कितने वर्षों से निवासी है

निवासी स्थिति: निवासी व्यक्ति

धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख पारसी जैन बौद्ध अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

ग्राहक का वर्ग एससी एसटी ओबीसी/एनटी सामान्य अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

दिव्यांग व्यक्ति* हाँ नहीं (यदि हाँ तो कृपया निर्दिष्ट करें)

यहाँ फोटो चिपकाएँ
और हस्ताक्षर करें
ऐसे हस्ताक्षर करें कि
आपका
हस्ताक्षर फोटो के
साथ-साथ फॉर्म
पर भी हो

आवेदक का मौजूदा निवास का पता: मुख्य डाक पता

फ्लैट/मकान नंबर
बिल्डिंग/सोसाइटी का नाम
गली नंबर/नाम
क्षेत्र/इलाका
शहर/कस्बा/गांव
राज्य/ यूटी कोड:
टेलीफोन: ईमेल:
मोबाइल

लैंडमार्क
ज़िला
पिन कोड*

आवेदक का स्थायी निवास का पता: मौजूदा पते के समान

फ्लैट/मकान नंबर
बिल्डिंग/सोसाइटी का नाम
गली नंबर/नाम
क्षेत्र/इलाका
शहर/कस्बा/गांव
राज्य/ यूटी कोड:
टेलीफोन: ईमेल:
मोबाइल

लैंडमार्क
ज़िला
पिन कोड*

आवेदक के कार्यालय का पता: मुख्य डाक पता

कार्यालय का नाम
क्षेत्र/इलाका
शहर/कस्बा/गांव
राज्य/ यूटी कोड:
टेलीफोन: ईमेल:
मोबाइल

लैंडमार्क
ज़िला
पिन कोड*

मौजूदा व्यवसाय/रोज़गार में कितने वर्ष से हैं:

नामिती की घोषणा

गिरवी रखे और बैंक में रखे गए सोने के गहने/जेवर के संबंध में नामांकन।
मैं/हम (नाम और पता) नीचे दिए गए व्यक्ति को नामिती बनाता/बनाती हूँ/बनाते हैं जिसे मेरी/हमारी मृत्यु पर गिरवी रखे और बैंक में रखे गए सोने के गहने/ जेवर बैंक, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, बकाया राशि का पूरा भुगतान करने पर बैंक द्वारा वापस कर दिए जाएंगे।
नामिती का नाम और पता (कृपया सुनिश्चित करें कि नामिती नाबालिग नहीं है) उधारकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो उम्र वर्ष
मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि इस नामांकन को हमारे द्वारा लिए गए किसी भी अन्य निर्णय पर प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वह वसीयतनामा हो या नहीं, और नामिती गिरवी रखे गए किसी भी सोने के जेवर या गहने को वापस लेने का हकदार होगा जो बैंक में सुरक्षित है, बशर्ते कि सभी बकाया ऋण का भुगतान कर दिया जाए। मैं/हम यह भी पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि इस तरह के रिटर्न पर बैंक को रिहा कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर और अंगूठा

आवेदक के रोजगार का विवरण (आवेदक द्वारा भरने हेतु)

व्यवसाय के प्रकार : S-सेवा (निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र)
 O-अन्य (व्यवसायी स्व-रोजगार सेवानिवृत्त गृहिणी किसान छात्र)
 B-व्यवसाय
 बेरोजगार

नियोक्ता/व्यवसाय का नाम : _____

पद : _____

मौजूदा नौकरी/व्यवसाय के वर्ष _____ नौकरी का कुल अनुभव : _____ अनुमानित वार्षिक आय _____

ऋण का विवरण

आवश्यक ऋण की राशि (रूपए) _____ अवधि : _____ महीना की ब्याज दर: _____

ब्याज भुगतान की विधि : मासिक रियर एंडेड/बुलेट

संवितरण की विधि : आरबीएल खाता में क्रेडिट (खाता संख्या _____) डीडी आईएमपीएस एनईएफटी/आरटीजीएस नकद

बैंक का नाम : _____

खाते का प्रकार : _____ खाताधारक का नाम : _____

खाता संख्या _____ आईएफएससी: _____

ऋण लेने का उद्देश्य: (कृपया ✓जैसा उचित हो)

कृषि विकास
 कृषि संबंधित विकास गतिविधि (डेयरी मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन)
 फसल कटाई से पहले और बाद की गतिविधियाँ (छिड़काव, निराई, कटाई, छंटाई, ग्रेडिंग और अपनी कृषि उपज का परिवहन)

घोषणा (कृषि उद्देश्यों के लिए)

• मैं कृषि की आय के अलावा भी व्यावसायिक/व्यक्तिगत स्रोतों से आय कमाने की पुष्टि करता/करती हूँ और मैं लागू ऋण के लिए मासिक अंतराल पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

गैर-कृषि

घर की मरम्मत चिकित्सा के खर्च संपत्ति अधिग्रहण ऋण का पुनर्भुगतान शिक्षा
 निजी उपयोग ऋण का एकीकरण बंधक खरीदारी यात्रा संबंधी खर्च व्यावसायिक उपयोग
 अन्य (यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें _____)

ग्राहक के द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा (पीएसएल और इसके अंतिम उपयोग के लिए)

मुझे पता है कि इस प्रतिनिधित्व, घोषणा और पुष्टि के विश्वास पर ही आरबीएल बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की श्रेणी के तहत वित्तीय सहायता के लिए मेरे ऋण आवेदन पर विचार करने के लिए सहमत हुआ है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पहचान संबंधी विवरण

(पहचान के नीचे दिए गए प्रमाण (पीओआई) में से किसी एक की स्व-प्रमाणित कॉपी जमा की जाएगी)

पासपोर्ट मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस नरेगा जॉब कार्ड अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें, _____)

*दस्तावेज़ पहचान संख्या : _____ आधार नंबर : _____

दस्तावेज़ जारी करने की तिथि दस्तावेज़ की समय-सीमा समाप्ति की तिथि

*(केवल पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अनिवार्य)

पते का प्रमाण (पीओए)

(इनमें से किसी एक पहचान पत्र/पहचान प्रमाण पत्र की प्रमाणित कॉपी जमा की जाएगी)

पासपोर्ट मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस नरेगा जॉब कार्ड अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें, _____)

*दस्तावेज़ पहचान संख्या : _____ आधार नंबर : _____

दस्तावेज़ जारी करने की तिथि दस्तावेज़ की समय-सीमा समाप्ति की तिथि

*(केवल पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अनिवार्य)

रिश्तेदार का विवरण

i. रिश्तेदार का नाम : _____

संबंध : _____ संपर्क नंबर : _____

ii. रिश्तेदार का नाम : _____

संबंध : _____ संपर्क नंबर : _____

ग्राहक सहमति

- मैं/हम बैंक को किसी भी तरीके से साझा करने, खुलासा करने, आदान-प्रदान करने या उपयोग करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं. मेरे/हमारे द्वारा किसी भी विशिष्ट सहमति या प्राधिकरण के बिना, समूह की कंपनियों/एसोसिएट्स को मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/डेटा /अनुबंधों/सहयोगियों/आरबीएल बैंक के संयुक्त उद्यम/कोई भी व्यक्ति जिसके साथ बैंक ने प्रवेश किया है/ बैंक द्वारा पेश किए गए किसी भी उत्पाद/सेवाओं के मार्केटिंग/प्रस्ताव/बिन्नी के उद्देश्य से 'सेवाओं/उत्पादों' के प्रावधान के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।
 हाँ नहीं, मैं अपनी जानकारी/डेटा को साझा करने, प्रकट करने, आदान-प्रदान करने या उपयोग करने की सहमति नहीं देता/देती हूँ
- आरबीएल बैंक, समय-समय पर आवेदन पत्र में आपके व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करके आपको मार्केटिंग जानकारी भेजना चाहता है/आरबीएल बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों, सेवाओं या प्रचार प्रस्तावों के बारे में सूचित करने के लिए आपसे संपर्क करना चाहता है, जो आरबीएल बैंक द्वारा स्वयं और सहयोग से या सहभागीयों/तीसरे पक्ष के साथ टाई-अप के माध्यम से पेश किए जाते हैं। नीचे अपनी प्राथमिकता देकर आप आरबीएल बैंक को एसएमएस, फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क करने की अनुमति देते हैं या अस्वीकार करते हैं:
 हाँ, बैंक मुझे से संपर्क कर सकता है नहीं, बैंक मुझ से संपर्क नहीं कर सकता है
- बीमा उत्पादों के लिए सहमति
 मैं/हम आरबीएल बैंक द्वारा पेश की गई बीमा का विकल्प चुनना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं नहीं, मैं बीमा कराने के लिए सहमति नहीं देता/देती हूँ

निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी की घोषणा

आरबीएल बैंक के निदेशक / वरिष्ठ अधिकारी / किसी अन्य बैंक के निदेशक के साथ संबंध के बारे में ग्राहक द्वारा घोषणा।

- मैं आरबीएल बैंक का निदेशक हूँ हाँ नहीं
- मैं किसी अन्य बैंक का निदेशक हूँ* हाँ नहीं बैंक का नाम : _____
- मैं आरबीएल बैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ हाँ नहीं
- मैं/हम आरबीएल बैंक/अन्य बैंक/आरबीएल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार हूँ/हैं हाँ नहीं
- हम एक निकाय हैं** जिसमें निदेशक**/निदेशक के रिश्तेदार**/आरबीएल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार निदेशक/सहभागी/गारंटर/इच्छुक पक्ष**/कर्मचारी या एक सहायक/होल्डिंग कंपनी (उधार लेने वाली कंपनी के) हैं जिसमें आरबीएल बैंक का निदेशक एक निदेशक/प्रबंध एजेंट/प्रबंधक/कर्मचारी/गारंटर है/पर्याप्त हित रखता है हाँ नहीं
- मैं एक कंपनी में आरबीएल बैंक के संबंधित निदेशक का सहभागी हूँ या फिर आरबीएल बैंक के निदेशक किसी भी मेरे क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटर है। हाँ नहीं

*इसमें अनुसूचित सहकारी बैंकों के निदेशक, सहायक कंपनियों के निदेशक/म्युचुअल फंड/उद्यम पूंजी निधि के ट्रस्टी शामिल हैं।

**निकाय में फर्म/कंपनी शामिल है, निदेशक शब्द में आरबीएल बैंक/किसी अन्य बैंक के निदेशक शामिल हैं*, हित पक्ष में पर्याप्त हित रखने वाला व्यक्ति शामिल है/प्रमुख शेरधारक है/प्रबंधक है/एजेंट का प्रबंधन कर रहा है/नियंत्रण में है।

यदि हाँ, तो नीचे दिए गए विवरण प्रदान करें : मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं/हम यहाँ बताए गए आरबीएल बैंक या किसी अन्य बैंक के निदेशक (निदेशकों) और या वरिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) के रिश्तेदार हैं

क्र. सं.	निदेशक (निदेशकों) / वरिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) के नाम	पद	संबंध

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

<input type="checkbox"/> प्राप्त दस्तावेज़ <input type="checkbox"/> प्रमाणित कॉपियां <input type="checkbox"/> एसआई / एनएसीएच एकत्रित	तिथि: <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/>
शाखा का नाम : <input type="text"/>	आवेदन का प्रकार <input type="checkbox"/> नया <input type="checkbox"/> अपडेट
शाखा कोड : <input type="text"/>	केवाईसी संख्या <input type="text"/>
उत्पाद : <input type="text"/>	(केवाईसी अपडेट करने के लिए अनुरोध करना अनिवार्य है)
योजना : <input type="text"/>	खाते का प्रकार <input type="checkbox"/> सामान्य <input type="checkbox"/> (कम जोखिम वाले ग्राहक के लिए) आसान
कर्मचारी नाम : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> छोटा <input type="checkbox"/> ओटीपी आधारित ई-केवाईसी
कर्मचारी कोड : <input type="text"/>	
कर्मचारी पद : <input type="text"/>	
कर्मचारी के हस्ताक्षर : _____	

सोने के गहनों पर ऋण
स्वीकृति

आवेदन संख्या

तिथि:

हम श्री/सुश्री _____ से सोने के गहनों पर ऋण के लिए आवेदन की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। यह आवेदन आपकी ओर से संतोषजनक निष्पादन/दस्तावेजों को जमा करने के बाद पूरा किया जाएगा और समय-समय पर आरबीएल बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

शुल्क की अनुसूची		
स्टैम्प ड्यूटी	वास्तविक स्थिति में	अंश/आंशिक भुगतान शुल्क
मूल्यांकन शुल्क		पूर्व/समाप्ति शुल्क
प्रोसेसिंग शुल्क		अतिदेय राशि पर अतिरिक्त शुल्क

ध्यान दें : • उपरोक्त सभी शुल्क समय-समय पर बैंक के स्वविवेक के अनुसार बदलाव के अधीन हैं • उपरोक्त शुल्कों में लागू सभी कर शामिल हैं हमारे आंतरिक नीति मानदंडों को पूरा नहीं करने पर आपका ऋण आवेदन <input type="checkbox"/> स्वीकृत / <input type="checkbox"/> अस्वीकृत कर दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि नीति मानदंड हमारे आंतरिक मामले हैं और ये अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग हो सकते हैं।	आरबीएल बैंक लिमिटेड के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
---	--

आवेदक की घोषणा

- i. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण और जानकारी सच, सही और पूरी हैं और आरबीएल बैंक लिमिटेड ("आरबीएल") से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई/दबाई नहीं गई है। मैं/हम उस प्रकार की अतिरिक्त लेखांकन प्रस्तुत करूंगा/करेंगे जैसा कि मुझे/हमें आवश्यक वित्तीय सहायता/सहायताओं के संबंध में आवश्यक हो।
मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ/करते हूँ कि वित्तीय विवरण/बैंक के विवरण/टाइटल/कानूनी दस्तावेज आदि की अटैच की गई कॉपीयां मेरे/हमारे द्वारा मेरे/हमारे ऋण आवेदन के लिए प्रस्तुत की गई हैं और पुष्टि करता/करती हूँ/करते हूँ कि ये सत्यापित कॉपीयां हैं। मैं/हम आरबीएल को किसी भी बैंक/व्यक्ति से मेरे बारे में रिश्तेदार की जांच करने के लिए भी अधिकृत करता हूँ/करते हूँ।
- ii. मैं/हम यह समझता/समझती हूँ/समझते हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी ऐसी किसी भी सुविधा का आधार बनेगी जो मुझे/हमें देने का निर्णय, बैंक अपने स्वविवेक पर ले सकता है। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि मुझे/हमें जो भी सुविधा प्रदान की जाएगी वह समय-समय पर लागू होने वाले बैंक के नियमों से शासित होगी। मैं/हम उस सुविधा/सुविधाओं के नियमों और शर्तों से बंधे होंगे जो मुझे/हमें दी जा सकती हैं। मैं/हम बैंक को बैंक खाते से लागू होने के अनुसार किसी भी फीस, शुल्क, ब्याज आदि को डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/करते हूँ।
- iii. यदि मेरे/हमारे आवसीय या रोजगार/व्यवसाय के पते में कोई बदलाव होता है या फिर कोई ऐसा बदलाव होता है, जिससे मेरी/हमारी क्रेडिट योग्यता प्रभावित हो सकती है, तो इसके बारे में मैं/हम इसके बारे में आरबीएल को लिखित रूप से सूचित करूंगा/करेंगे। मैं/हम अपने/हमारे निवास/संपर्क जानकारी/रोजगार में बदलाव के संबंध में समय-समय पर बैंक को सूचित करने और ऐसे बदलाव की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपडेट दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता हूँ/देते हूँ।
- iv. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हूँ कि बैंक के पास इस आवेदन के साथ जमा की गई फोटो और दस्तावेजों को अपने पास रखने का अधिकार सुरक्षित है और वह इन्हें मुझे/हमें नहीं लौटाएगा। मैं/हम यह समझता/समझती हूँ/समझते हूँ कि इस ऋण का स्वीकृत होना पूरी तरह से आरबीएल के स्वविवेक पर और मेरे/हमारे द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और आरबीएल द्वारा आवश्यक अन्य औपचारिकताएं पूरी करने निर्भर करता है। मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि मेरा/हमारा ऋण आरबीएल के नियमों/नौति और अन्य कानूनों और नियामक दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगा, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं।
- v. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे/हमारे खिलाफ कोई दिवालियापन कार्यवाही लंबित नहीं है और न ही मुझे/हमें कभी दिवालिया घोषित किया गया है; मैं/हम किसी भी बैंक का निदेशक या निदेशक का रिश्तेदार नहीं हूँ/हैं; मैं/हम ऐसी फर्म नहीं हूँ/हैं जिसमें किसी भी बैंक के निदेशक या निदेशकों के रिश्तेदार इच्छुक सहभागी/गारंटर हैं; मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ/करते हूँ कि मैं/हम आरबीएल के निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी/निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार नहीं हूँ।
- vi. मैं एतद्वारा आरबीएल को यह अधिकृत और सहमति देता हूँ/देती हूँ कि मुझे/हमें कोई नोटिस दिए बिना मेरे/हमारे द्वारा आवेदन पत्र/पत्रों/संबंधित दस्तावेजों में दी गई जानकारी को बैंक द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में, आरबीएल की अन्य शाखाओं / सहायक निकायों / संबद्ध निकायों, क्रेडिट ब्यूरो / रेटिंग एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, आरबीएल / वित्तीय संस्थानों, सरकारी / विनियामक अधिकारियों, केवाईसी जानकारी सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण या अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए तीसरे पक्षों के सामने प्रस्तुत कर सकता है/सकती है, यदि ऐसा करना आरबीएल के नजरिए से उचित है।
- vii. मैं एतद्वारा आरबीएल को यह अधिकृत और सहमति देता हूँ/देती हूँ कि मुझे/हमें ऐसी अस्वीकृति के बारे में सूचित करने में किसी देरी के लिए, या किसी भी लागत, हानि, नुकसान, या खर्च, या अन्य परिणामों के लिए जो ऐसी अस्वीकृति से उत्पन्न हो सकते हैं...
- viii. मैं/हम यह समझता हूँ/हैं कि ऋण संबंधी अवधि / पुनर्भुगतान / ब्याज / अन्य नियम व शर्तें पूंजी बाजार की स्थितियों में होने वाले किसी भी देरी के परिणामस्वरूप बदलाव के अधीन या किसी अन्य संवैधानिक अथवा विनियामक आवश्यकताओं के अधीन या आरबीएल के स्वविवेक के अधीन हैं। आरबीएल को यह अधिकार है कि वह अपने नजरिए से उचित सीमा तक ऋण की शर्तों की समीक्षा और उनमें संशोधन कर सकता है।
- ix. मैं/हम न तो राजनीतिक संपर्क वाले व्यक्ति हूँ/हैं / न ही राजनीतिक संपर्क रखने वाले व्यक्तियों (जैसा कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित और संशोधित किया जाता है) से संबंधित हूँ, जैसा कि अन्यथा नीचे बताया गया है।
- x. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि आरबीएल ने मुझे/हमें नीचे दी गई जानकारी दी है :
(a) ऋण पर लागू होने वाली ब्याज की दर और ब्याज के प्रकार, और चेक रिटर्न शुल्क, पीडीसी बदलने का शुल्क, समाप्ति शुल्क आदि जैसे अन्य लागू शुल्क।
(b) प्रोसेसिंग शुल्क (गैर-वापसीयोग्य) जो ऋण आवेदन के लिए लिया जाएगा और लागू जीएसटी शुल्क के संबंध में लिया जाएगा।
(c) ईएमआई/पुनर्भुगतान और राशि के संबंध में ऋण के विवरण के नियमों और शर्तों के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा।
- xi. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि:
xii. जब भी आरबीएल को आवश्यकता होगी, मैं सभी अतिरिक्त दस्तावेज पेश करूंगा।
- xiii. मैं ऐसे किसी सोने की खरीद के लिए ऋण की राशि का उपयोग नहीं करूंगा, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के गहने, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं।
- xiv. मैं लघु बचत उपकरणों (किसान विकास पत्र (केवीपी) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) सहित) के अधिग्रहण के लिए ऋण का उपयोग नहीं करूंगा।
- xv. मैं ऋण का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं करूंगा, जिसमें पूंजी बाजार उपकरणों या किसी अव्यवहार्य या गैर-कानूनी या समाज विरोधी उद्देश्यों में निवेश करना या ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उपभोग/उत्पादन करने वाली या क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उपयोग करके एयरोसोल इकाइयों का निर्माण करने वाली नई इकाइयों में निवेश करना शामिल है।
- xvi. मैं यह समझता/समझती हूँ/कि क्रेडिट देने का निर्णय एक क्रेडिट मॉडल पर आधारित होता है जिसमें पिछला क्रेडिट, भुगतान से संबंधित ट्रेकिंग, बैंकिंग व्यवहार, व्यावसायिक स्थिरता और नकदी प्रवाह विश्लेषण जैसे कारक शामिल होते हैं जिसका विश्लेषण व्यक्तिगत चर्चा और प्रलेखन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- xvii. ऋण की राशि /स्वीकृत प्रक्रिया के संबंध में बैंक या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा मुझसे/हमें कोई समर्पण नहीं दिया गया है (या) किसी उल्लंघन/छूट का वादा किया गया है। इसके अलावा, प्रतिनिधि (या) आरबीएल किसी अन्य कर्मचारी (या) किसी दूसरे तीसरे पक्ष को इस ऋण आवेदन के साथ या इसके संबंध में नकद राशि, वाहक चेक या किसी अन्य प्रकार से कोई भुगतान नहीं किया है।
- xviii. मैं एतद्वारा आरबीएल को अधिकृत करता/करती हूँ;
- xix. मेरे/हमारे आधार नंबर को मेरे/हमारे आवेदन की प्रोसेसिंग के दौरान वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए सत्यापित और प्रमाणित करने के लिए।
- xx. आवश्यकता पड़ने पर नियामक/वैधानिक निकायों के साथ अपने आधार संबंधी विवरण/जानकारी साझा करने के लिए।
- xxi. मैं/हम संवैधानिक या कानूनी निर्बलताओं से ग्रस्त नहीं हूँ/हैं और/या बाध्यकारी समझौते में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ/सकते हैं। यदि उधारकर्ता सही व्यक्ति है/हैं, उधारकर्ता बालिग है/हैं और मानसिक रूप से ठीक है/हैं तो अनुबंध करने में सक्षम है/हैं।
- xxii. मैं/हमारे पास कोई मौजूदा या उपरोक्त के अलावा कोई ग्राहक आईडी नहीं है और यदि इसके विपरीत पाया जाता है, तो आरबीएल बैंक, मुझे/हमें कोई पिछला नोटिस दिए बिना, ग्राहक आईडी को एक ही ग्राहक आईडी के अंतर्गत रखने का अधिकार है, जैसा कि वह निर्णय ले सकता है।
- xxiii. मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन की स्थिति, खाते से संबंधित गतिविधि, सर्विस कॉल (वसूली, सलाह और शिक्षाप्रद/जानकारी पूर्ण संदेश), नियामक अपडेट के साथ-साथ उत्पाद के उपयोग से संबंधित संदेश/कॉल प्राप्त करने के लिए सहमति देता/देती हूँ/देते हूँ, जो बैंक मेरे/हमारे मोबाइल/फोन नंबर जैसा कि इस आवेदन पत्र में बताया गया है।
- xxiv. मैं/हम इसकी पुष्टि करता/करती हूँ/करते हूँ कि मैंने/हमने मेसर्स _____ को सहमति दे दी है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री/सुश्री _____ करती हैं, ताकि ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक के साथ मेरे/हमारे संपर्क विवरण साझा/प्रस्तुत किए जा सकें।
- xxv. मैं एतद्वारा पहचान/पते के प्रमाण के उद्देश्य के लिए आरबीएल बैंक को यूआईडीएआई (आधार) द्वारा निर्धारित और बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण या ऑफलाइन सत्यापन विधियों को अपने स्वविवेक के अधीन अपनी स्वेच्छा से प्रस्तुत करता/करती हूँ।
- xxvi. मैं आरबीएल बैंक को यूआईडीएआई से मेरे विवरण को सत्यापित करने के लिए मेरा आधार नंबर और/या बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। मैं यह समझता/समझती हूँ कि आरबीएल बैंक यूआईडीएआई से डेटा की मांग करेगा और इसे आरबीएल बैंक में मुझे मेरे द्वारा चुनी गए उत्पाद/सेवाओं को प्रदान करने के लिए रखा जाएगा।
- xxvii. मैं एतद्वारा आरबीएल बैंक में मेरे द्वारा दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के जरिए सीकेवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति देता/देती हूँ। मैं अपनी सहमति देता/देती हूँ कि मेरी पहचान और पते को सत्यापन के उद्देश्य से सीकेवाईसीआर रजिस्ट्री के डेटाबेस से मेरे केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर), से डाउनलोड किया जाए। मैं यह समझता/समझती हूँ कि मेरे केवाईसी रिकॉर्ड में मेरे केवाईसी रिकॉर्ड/निजी जानकारी जैसे मेरा नाम, पता, जन्म तिथि, पैन नंबर आदि शामिल हैं।

मैं इस बारे में सहमति देता हूँ/देती हूँ कि मुझे आरबीएल बैंक/उसके एजेंटों द्वारा टेलीफोन/मोबाइल/एसएमएस/ईमेल के जरिए मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए जानकारी/सेवा आदि प्राप्त होते रहें।

आवेदक का नाम : _____

आवेदक का हस्ताक्षर : _____

तिथि :

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---



सोने के ज़ेवर पर ऋण के लिए घोषणा और नियम एवं शर्तें

आरबीएल बैंक लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1913 के प्रावधानों के तहत एक निगमित कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद इसे 'आरबीएल बैंक' के रूप में जाना जाता है) के दायरे में मौजूद माना जाता है। आरबीएल बैंक उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता (यदि कोई हो) (सामूहिक रूप से 'उधारकर्ता' के रूप में जाना जाता है) के अनुरोध पर, समय-समय पर, अधिक क्रेडिट सुविधाओं ('ऋण') में से एक को स्वीकृत/अनुदान दे सकता है, जो आवेदन पत्र ('नियम और शर्तें') में निर्धारित इन नियमों, शर्तों और अनुबंधों को द्वाारा शासित होगा। इस बात पर विचार करते हुए कि आरबीएल बैंक उधारकर्ता को ऋण देने के लिए सहमत है, उधारकर्ता कोई बदलाव किए बिना निम्नलिखित वचन देता है और आरबीएल बैंक को इसकी पुष्टि करता है:

1. इस आवेदन पत्र में जो सभी विवरण/जानकारी दी गई है वह सच और पूरी है और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी दबाई/छिपाई नहीं गई है। उधारकर्ता स्वीकार करता/करती है कि आरबीएल बैंक पर उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी गलत विवरण से प्राप्त किसी भी परिणाम के लिए कोई दायित्व नहीं होगा और उधारकर्ता स्वयं इसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। उधारकर्ता एतद्वारा आरबीएल बैंक को ऐसी क्रेडिट जांच करने के लिए अधिकृत करता है/करती है और जिस समय वह आवश्यक समझे। आरबीएल बैंक, अपने स्वविवेक से, उतनी राशि का ऋण स्वीकृत कर सकता है जितनी आरबीएल बैंक ऐसे उद्देश्य/उद्देश्यों के लिए उपयुक्त समझे जैसा कि मेरे/हमारे द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित किया गया है। मुझे/हमें दिए जाने वाले ऋण की राशि समय-समय पर आरबीएल बैंक की आंतरिक नीतियों पर निर्भर करेगी। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अतिरिक्त ब्याज और ऐसे अन्य ऋण के साथ ऋण जो मेरे/हमारे द्वारा बैंक को देय है/हो सकते हैं, उन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से 'बकाया राशि' के रूप में जाना जाता है।
2. उधारकर्ता सोने के जेवर (इसके बाद 'सोने के आभूषणों' के रूप में जाना जाता है) का एकमात्र और पूर्ण स्वामित्व है, जैसा कि विशेष रूप से आवेदन पत्र में बताया गया है, और जिस पर उधारकर्ता गिरवी रखकर पहला और विशेष शुल्क लागू करेगा। इसे आरबीएल बैंक में डिपॉजिट करके, जो बैंक के पास तब तक डिपॉजिट रहेगा जब तक कि यहाँ कोई बकाया राशि बकाया न हो और उधारकर्ता द्वारा बैंक को ('गोल्ड सिन्क्योरिटी') देय न हो। हालाँकि, सोने के आभूषणों से जुड़े किसी भी पत्थर, रत्न का मूल्य ऋण लेने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा और यह देखते हुए कि उनका मूल्य नहीं होगा, आरबीएल बैंक द्वारा इसके साथ कोई मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ बनाई गई सुरक्षा तब तक जारी रहेगी जब तक ऋण के तहत सभी देय धनराशि का पूरा भुगतान और सभी अनुबंधों का समय से अनुपालन हो और ऋण के तहत उधारकर्ताओं के सभी दायित्वों को समय से पूरा किया गया है। उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है/करती है कि बैंक के साथ सुरक्षा के रूप में डिपॉजिट की गई/डिपॉजिट की जाने वाली सोने के आभूषणों पर उधारकर्ता का स्वामित्व किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से दोषपूर्ण/चुनौतीपूर्ण नहीं है और न ही यह नकली या कम गुणवत्ता का है क्योंकि इसे बैंक द्वारा वास्तविक स्रोतों से प्राप्त किया गया है, यह असली सोना है, यह उधारकर्ता की वास्तविक संपत्ति है, और किसी अन्य व्यक्ति का कोई दावा, लिखन या आरोप नहीं है।
3. उधारकर्ता एतद्वारा सहमत है, वचन देता है/देती है और प्रतिनिधित्व करता है/करती है, उधारकर्ता के पास इन नियमों और शर्तों में प्रवेश करने और आरबीएल बैंक के पक्ष में सोने के आभूषणों के लिए सुरक्षा हित बनाने के सभी कानूनी अधिकार और पूर्ण अधिकार हैं; कि कोई अन्य व्यक्ति या निकाय उक्त सोने के आभूषणों पर कब्जा, उपयोग या नियंत्रण करने का वास्तव में या शर्तों के तहत उधारकर्ता को हकदार नहीं है; यह कि ऋण या अधिम राशि स्वीकृत कर दी गई है और इसका उपयोग आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं; और ऋण की स्वीकृति के सभी नियमों और शर्तों का समय से अनुपालन किया जाएगा; यह कि ऋण का उपयोग किसी भी अवैध या अव्यवहार्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा; ii) एचयूएफ के अनुसार; यदि उधारकर्ता एक सदस्य है / उधारकर्ता एक हिंदू अविभाजित परिवार या एचयूएफ के सदस्य है, तो सोने को सुरक्षित रखना उधारकर्ता की निजी संपत्ति का एक हिस्सा है और उक्त द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई और; iii) या स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति का हिस्सा नहीं है; iii) उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के खिलाफ किसी भी अदालत या किसी अन्य न्यायाधिकरण, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाई, मुकदमा या कार्यवाही लंबित नहीं है, जो उधारकर्ता/उधारकर्ता की उसके/अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है; iv) उधारकर्ता उक्त ऋण के तहत, उधारकर्ता और उधारकर्ता देय राशि की ओर से आरबीएल बैंक द्वारा भुगतान किए गए प्रशासन, कर, डाक, क्रियर शुल्क, स्टॉप शुल्क से संबंधित सभी शुल्कों का भुगतान/प्रतिपूर्ति करेगा; v) उधारकर्ता आवेदन पत्र में दिए गए पते/फोन नंबर में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत आरबीएल बैंक को सूचित करेगा; vi) उधारकर्ता यह घोषणा करता है/करती है कि आवेदन पत्र और इन नियमों के अनुलनकों के साथ और शर्तों के तहत उधारकर्ता द्वारा आरबीएल बैंक को दी गई जानकारी और डेटा सच और सही हैं; vii) उधारकर्ता आरबीएल बैंक द्वारा किसी भी तरह से किए गए सभी खर्च, शुल्क और व्यय का भुगतान करेगा/करेगी, जिसमें यात्रा और अन्य भत्ते, जैसे स्टॉप इयूटी, पंजीकरण शुल्क, अन्य शुल्क, कर, शुल्क और अन्य देय शामिल हैं, यदि और जब उधारकर्ता को ऐसा करने की आवश्यकता होती है। उस समय लागू कानूनों के तहत भुगतान करेगा/करेगी, और यदि उधारकर्ता उपरोक्त स्टॉप शुल्क, अन्य शुल्क, कर और देय का भुगतान नहीं कर पाता है/पाती है, तो आरबीएल बैंक स्वतंत्र होगा (लेकिन बाध्य नहीं होगा) उसका भुगतान करने और उधारकर्ता आरबीएल बैंक को उसकी मांग पर उसी दर पर ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति करेगा/ करेगी, जो ऋण के संबंध में डिफॉल्ट किरातों पर है, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, भुगतान की तिथि से मासिक छूट के साथ और उधारकर्ता द्वारा ऐसी प्रतिपूर्ति होने तक आवश्यकता हो। उधारकर्ता को निरीक्षण शुल्क, सम्पूर्ण शुल्क और अन्य सभी लागू शुल्कों का भुगतान करना होगा; viii) उधारकर्ता को ऋण के संबंध में सभी करों, शुल्कों, लेवी, माल और सेवा कर का भुगतान करना होगा।
4. यदि समय-समय पर लागू पर्याप्त मार्जिन से गोल्ड सिन्क्योरिटी का मूल्य में घटा हो जाता है, चाहे वह किसी ऑडिट के अनुसार, (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) या अन्यथा, इसके खंड 18 के तहत डिफॉल्ट की घटना घोषित करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और/या सोने के आभूषणों को बेचने का अधिकार और/या यहाँ या कानून के तहत बैंक के पास उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपायों का उपयोग करने के लिए, उधारकर्ता को इस संबंध में आरबीएल बैंक से नोटिस के 7 (सात) दिनों के भीतर, बैंक को सूचित करना होगा, जो बैंक के स्वविवेक के अधीन होगा, जहाँ बैंक के पास डिफॉल्ट, ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा, जैसी आवश्यकता हो सकती है। यदि उधारकर्ता द्वारा 7 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो आरबीएल बैंक को अपने स्वविवेक के अनुसार, और किसी अतिरिक्त नोटिस के बिना, उन्हें किसी भी हानि या नुकसान या मूल्य में घाटे के बिना बेचने/विलेखन का अधिकार होता है, और उन्हें उधारकर्ता द्वारा इस संबंध में देय राशि के खिलाफ प्राप्त लाभों को अनुकूलित करने के लिए उत्तरदायी होता है।
5. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उधारकर्ता की लागत पर किसी भी समय जब तक उधारकर्ता पर बैंक के तहत यहाँ कोई भी देय है और उधारकर्ता को नोटिस दिए बिना और उधारकर्ता की उपस्थिति के बिना, जिसमें पैकेट और सील को खोलकर, यदि कोई हो, गोल्ड सिन्क्योरिटी रखी जाती है, तो आरबीएल बैंक गोल्ड सिन्क्योरिटी की गुणवत्ता, शुद्धता, मूल्य के संबंध में जांच, निरीक्षण और/या ऑडिट (सामूहिक रूप से, "ऑडिट") करने का हकदार होगा, जैसा कि बैंक द्वारा उचित माना जाए। बैंक अपने पूर्ण स्वविवेक से, इस संबंध में किसी विशेषज्ञ या मूल्यांकनकर्ता की सेवाओं का उपयोग कर सकता है और उनकी सलाह पर विश्वास कर सकता है, और उधारकर्ता इसके द्वारा उस संबंध में उधारकर्ता की किसी भी आपत्ति से मुक्त कर देता है। उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत है कि बैंक को किसी भी समय उधारकर्ता से ऋण के तहत, बैंक के लिए उधारकर्ता के दायित्वों के लिए गारंटी की आवश्यकता हो सकती है, और उधारकर्ता ऐसे गारंटी द्वारा ऐसी गारंटी प्राप्त देने के लिए सहमत है/देती है, जिसकी बैंक को आवश्यकता पड़ सकती है। जिसमें किसी भी सीमा के बिना मूल्यांकनकर्ता या आकलनकर्ता की आवश्यकता होती है।
6. बैंक द्वारा ऑडिट करने पर बैंक के निष्कर्ष, गोल्ड सिन्क्योरिटी की गुणवत्ता, शुद्धता या मूल्य पर किसी विशेष निष्कर्ष मिलने पर, उधारकर्ता के लिए अनिवार्य होंगे और उधारकर्ता उसे किसी भी प्रकार से विवादित नहीं करेगा। उधारकर्ता उन सभी कार्य को करेगा, जिसकी आरबीएल बैंक को ऑडिट करने पर आवश्यकता पड़ सकती है। उधारकर्ता यह मानता है/मानती है और इस बात से सहमत है कि यदि बैंक के निर्देशों का पालन करने में उधारकर्ता की ओर से कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है और/या यदि आरबीएल बैंक द्वारा गोल्ड सिन्क्योरिटी की गुणवत्ता, मूल्य या शुद्धता में विवाद होता है, तो वह डिफॉल्ट के रूप माना जाएगा, बैंक को तुरंत ब्याज देने और अन्य देय राशि के साथ ऋण वापस लेने का अधिकार देता है और साथ ही बैंक को गोल्ड सिन्क्योरिटी को गिरवी रखने का भी अधिकार देता है।
7. उधारकर्ता ऋण राशि पर संवितरण की तिथि से ऐसी दर पर, ऐसी तिथियों पर और ऐसी अवधि के लिए ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि प्लेज कार्ड में बैंक द्वारा निर्दिष्ट है और यहाँ या कहीं भी किसी भी बात के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी निर्देशों के तहत ब्याज दरों में बदलाव के अधीन होगा। उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि आरबीएल बैंक ब्याज दर और अतिरिक्त ब्याज, को कम या ज्यादा संशोधित करने का हकदार होगा। बैंक के आंतरिक नीतिगत निर्णयों के आधार पर यहाँ उल्लिखित ब्याज आदि वसूलने की आवृत्ति समय-समय पर स्वविवेक पर निर्भर करती है, बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा। उपरोक्त खंड 7 के तहत, बैंक द्वारा दी गई किसी भी वृद्धि के अनुसार ब्याज या ब्याज की राशि के भुगतान के तरीके या विधि या अधि या अधि में किसी भी बदलाव / संशोधन पर, यदि कोई हो, तो उधारकर्ता ऐसे संशोधित ईसीएस/एसआई अधिदेश/पीडीसी को निष्पादित करेगा जैसा कि आरबीएल बैंक के स्वविवेक के अनुसार आवश्यक हो। हालाँकि यह स्पष्ट किया गया है कि यदि ऋण किसी भी महीने की 27 तारीख के बाद संवितरित किया जाता है, तो ब्याज अगले महीने की 27 तारीख और उसके बाद हर महीने में देय होगा। ब्याज/शुल्क दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहेगा और वर्ष में 360 दिनों के आधार पर और वास्तविक बीते दिनों के आधार पर गणना किया जाएगा। ऋण को समय-समय पर उधारकर्ता के अनुरोध पर फिर से शुरू किया जा सकता है, हालाँकि यह आरबीएल बैंक के एकमात्र और पूर्ण स्वविवेक पर निर्भर करता है।
8. किसी स्थिति में ऋण की चुकोती ऋण की परिपक्वता पर (ऋण की परिपक्वता का मतलब ऋण की अवधि की समाप्ति होगी) या ऋण की पिछली समाप्ति पर हो, (जैसा कि इसके खंड 16 और 18 में निर्दिष्ट है), जैसा भी मामला हो, उधारकर्ता परिपक्वता पर बैंक का ब्याज और अन्य बकाया राशि देय होगी।
9. यदि ऋण अवधि के दौरान ब्याज चुकाने और ऋण की परिपक्वता पर मूल राशि के पुनर्भुगतान के माध्यम से ऋण चुकाया जाएगा, तो उधारकर्ता द्वारा मूल राशि की अवधि के दौरान देय तिथियों पर ब्याज का भुगतान/चुकाया जाएगा जैसा कि प्लेज कार्ड में निर्धारित है। बशर्त कि बैंक कोई भी घटना होने पर ब्याज राशि और उसके भुगतान की तिथियों की पुनर्गणना और/या संशोधन करने का हकदार होगा, जिसके लिए बैंक की राय में उसकी पुनर्गणना/संशोधन की आवश्यकता होती है। ऐसे किसी भी संशोधन की स्थिति में, उधारकर्ता सहमत होता है और जैसा भी मामला हो, नए पीडीसी, चेक, स्थायी निर्देश या डेबिट प्राधिकरण, जारी करने का वचन देता है, बैंक को जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं और पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान के लिए मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की जाने वाली उपयुक्त ईएमआई तैयार की जाएगी।
10. बैंक, स्वविवेक से और पूर्व-भुगतान की फीस आदि जैसी शर्तों के अधीन, जैसा कि वह निर्धारित कर सकता है, उधारकर्ता के अनुरोध पर ऋण के पूर्व-भुगतान/बदोती या पूर्व-भुगतान की अनुमति दे सकता है, बशर्त कि बैंक समय-समय पर, ऋण की बदोती के कारण देय पूर्व-भुगतान की न्यूनतम राशि/राशि के बारे में बता सकता है। यदि बैंक द्वारा उधारकर्ता को ऋण की पूरी राशि का समय से पहले भुगतान करने की अनुमति दी जाती है, तो उसे ऐसा करने के लिए पूर्व लिखित सूचना दी होगी और उधारकर्ता को बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पूर्व-भुगतान शुल्क का भुगतान करना होगा।
11. यदि बैंक किसी आंशिक पूर्व-भुगतान करने की अनुमति देता है, तो बैंक द्वारा उधारकर्ता के अनुरोध पर पुनर्भुगतान की अनुसूची में बदलाव किया जा सकता है और उधारकर्ता बदली गई पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन करने के लिए सहमत देता है/देती है।
12. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है/करती है कि पुनर्भुगतान अनुसूची का बिना किसी डिफॉल्ट के, ऋण देने और जारी रखने के लिए कड़ाई से अनुपालन करना, एक आवश्यक शर्त है और वह समय इस लेन-देन का सार है। यदि भुगतान देय तिथियों से पहले किया जाता है, तो भुगतान के लिए क्रेडिट केवल देय तिथियों पर या लिखतों की वसूली पर दिया जाएगा, जो भी बाद में हो। यदि उधारकर्ता द्वारा ऋण या ब्याज या ऋण के संबंध में देय किसी अन्य राशि का पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट पाया जाता है, उधारकर्ता संपूर्ण ऋण राशि और उसके तहत देय राशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक देय तिथि से अवेतनिक राशि पर हर महीने अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा अतिरिक्त ब्याज किसी भी अन्य शुल्क के अतिरिक्त माना जाएगा, जिसमें उधारकर्ता आरबीएल बैंक की ऋण संबंधी शर्तों के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। उधारकर्ता आरबीएल बैंक को चेक की अस्वीकृति से संबंधित सभी शुल्क, चेक के प्रतिनिधित्व, प्रशासन शुल्क, लागू कर और लेवी, स्टॉप शुल्क सहित, या सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले किसी भी प्रकार के किसी भी अन्य शुल्क का वहन, भुगतान और इसके संबंधित अन्य सभी लागत और खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा। ऋण के अनुदान और पुनर्भुगतान के लिए आवेदन; (b) ब्याज सहित ऋण की वसूली और प्राप्ति; (c) गोल्ड सिन्क्योरिटी का प्रवर्तन; (d) गोल्ड सिन्क्योरिटी के संबंध में सभी करों और किसी भी अन्य शुल्क और लेवी की बकाया राशि की निकासी; (e) सोने के आभूषणों का बीमा करना; f) उधारकर्ता मूलधन/ब्याज का भुगतान करने के लिए ऑरिजिनल प्लेज कार्ड लागू और जो अंतिम भुगतान/मोचन के समय आरबीएल बैंक को सौंप दिया जाएगा; g) ऑरिजिनल प्लेज कार्ड को जमा किए बिना गिरवी रखी गई गोल्ड सिन्क्योरिटी के मोचन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और आरबीएल बैंक उधारकर्ता द्वारा ऑरिजिनल प्लेज कार्ड के गम हो जाने या किसी व्यक्ति द्वारा इसका दुरुपयोग किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा; h) उधारकर्ता प्लेज कार्ड में दिए गए सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और ऐसे सभी शुल्क समय-समय पर बैंक के स्वविवेक के अनुसार बदलाव के अधीन हैं; j) यहाँ उधारकर्ता किसी भी समापन, परिसमापन, दिवाला, पुनर्गठन या किसी भी समान प्रक्रिया या दिवाला या दिवालियापन होने या उसके संबंध में किसी भी कार्यवाही या किसी भी अनुरूप कदम में किसी भी संशोधन या मुकदमा से प्रभावित, समाप्त या पूर्वाग्रहित के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन ऐसे उत्तरदायित्व पूरी क्षमता और प्रभाव से जारी रहेंगे और उधारकर्ता के संबंधित उत्तरदायिकारी पर बाध्यकारी होगा।
13. एसएमए/ एनपीए का वर्गीकरण: उधारकर्ता के खातों का एनपीए के साथ-साथ एसएमए के रूप में उपयुक्त तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा। एसएमए/एनपीए की तिथि किसी ऐसे खाते की संपत्ति का वर्गीकरण की स्थिति को दर्शाएगी जो उस कैलेंडर की तिथि के अंत में होगा।

परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण	
एसएमए की उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्ण या आंशिक रूप से अति देय हो
एसएमए - 0	30 दिन तक
एसएमए - 1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
एसएमए - 2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक
एनपीए	90 दिन से अधिक

उदाहरण:

यदि किसी ऋण के खते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और इन तिथि से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अति देय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अति देय बना रहता है, तो इस खते को 30 अप्रैल, 2021 को, यानी लगतार अति देय होने के 30 दिन पूरे होने पर एसएमए-1 के रूप में डूब किया जाएगा। इसीलिए, उस खते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी। इसी प्रकार, यदि खते का अति देय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अति देय ऐसे ही बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों को अपग्रेड करना: उधारकर्ता का एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाता (खाते) को 'मानक' संपत्ति के रूप में केवल तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब ब्याज और मूल धन की पूरी बकाया राशि का उधारकर्ता द्वारा भुगतान कर दिया गया हो।

उधारकर्ता उपरोक्त जानकारी को समझने की पुष्टि और घोषणा करता है और इसकी सहमति भी देता है कि उनके खते के वर्गीकरण के लिए ऊपर दिए गए दिशा-निर्देश लागू होंगे।

- नकद या आरबीएल बैंक खाते में ऋण के संवितरण के लिए और उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों से सहमत होकर ऋण की रसीद की पुष्टि करता/करती है। यदि ऋण का संवितरण चेक या पे ऑर्डर या एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के माध्यम से किया जाता है, तो संवितरण को चेक या पे ऑर्डर द्वारा किए गए संवितरण की तिथि या एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस की लेन-देन की तिथि के दिन को उधारकर्ता को किए गए माना जाएगा। प्रशासन शुल्क, प्रीमियम, लेनदेन / घोषित शुल्क, किसी भी अग्रिम ब्याज आदि के सभी प्रारंभिक भुगतानों को मिलाकर ऋण की राशि उधारकर्ता को वितरित की जाएगी। आरबीएल बैंक अपने स्वविवेक से उधारकर्ता को आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण के अनुसार आरटीजीएस / एनईएफटी / आईएमपीएस लेनदेन करने के लिए अधिकृत कर सकता है। उधारकर्ता समझता/समझती है कि आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस अनुरोध आरबीआई के नियमों और इसे नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के अधीन है। उधारकर्ता आगे स्वीकार करता/करती है कि बैंक उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए गलत विवरण से होने वाले किसी भी परिणाम के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है।
- ऋण स्वीकार करने के बाद, आरबीएल बैंक उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की शुद्धता या गुणवत्ता की पुष्टि या स्वीकार नहीं करता है। अगर आरबीएल बैंक को पता चल जाता है कि गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों पर ऋण देने के लिए आवश्यक गुणवत्ता या शुद्धता मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रही है या वह नकली है, तो उधारकर्ता आरबीएल बैंक के ऐसे निष्कर्षों से बंधा हुआ है कि उसे आरबीएल बैंक को होने वाले नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, अन्यथा आरबीएल बैंक ऐसे नुकसान को वसूल करने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है।
- आरबीएल बैंक यह निर्धारित करता है कि अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है या हो सकता है, या अगर आरबीएल बैंक के लिए उधारकर्ता को ऋण देना या जारी रखना गैरकानूनी हो जाता है या अगर नियमों और शर्तों के तहत उधारकर्ता के लिए अपने किसी भी दायित्व का पालन करना गैरकानूनी हो जाता है तो वह अपने स्वविवेक पर, ऋण को रद्द और समाप्त कर सकता है और उधारकर्ता को कोई पूर्व सूचना दिए बिना पूरी देय राशि वापस ले सकता है। आरबीएल बैंक द्वारा संवितरण किए जाने पर, उधारकर्ता ऋण को रद्द करने और/या समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। उधारकर्ता के संबंध में, नियम और शर्तें पूरी तरह लागू और प्रभावी होंगी और इन्हें तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऋण खाता बंद न हो जाए और उस पर सभी बकाया राशि पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाए, न ही इसके बाद किसी अन्य दस्तावेज के निष्पादन के कारण इसे विलय या संशोधित या परिवर्तित माना जाएगा।
- आरबीएल बैंक की ओर से चोरी या लापरवाही के कारण सोने के आभूषणों के खो जाने पर आरबीएल बैंक की देनदारी प्लेज काई में बताए अनुसार सोने के आभूषणों के शुद्ध वजन तक ही सीमित होगी। ऐसे मामले में, मूल धन, ब्याज और अन्य शुल्क को समायोजित करने के बाद आरबीएल बैंक अंतर राशि का भुगतान करेगा या दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। अगर गिरवी रखे गए ऐसे सोने के आभूषणों में कोई कीमती पत्थर शामिल है, तो आरबीएल बैंक की देनदारी केवल सोने के वजन की सीमा तक ही सीमित रहेगी। आरबीएल बैंक के साथ गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों उधारकर्ता के जोखिम पर उचित संरक्षण के लिए पर्याप्त तिजोरियों में रखी जाएंगी और आरबीएल बैंक सुरक्षा लॉकर/सुरक्षा की उचित देखभाल करेगा। इसके बावजूद भी, आरबीएल बैंक दुर्घटना, अप्रत्याशित घटना, दैवीय कृत्य, दंगा, चोरी आदि किसी भी कारण से सोने के आभूषणों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- निम्नलिखित घटनाएं डिफॉल्ट की घटनाओं में शामिल की जाएंगी (प्रत्येक एक 'डिफॉल्ट' की घटना), इनमें से किसी भी घटना के घटित होने पर उक्त बकाया मेरे/हमारे द्वारा आरबीएल बैंक को तुरंत देय हो जाएगा और आरबीएल बैंक अन्य बातों के साथ-साथ ऋण को वापस लेने और/या यहां दी गई साइज की सुरक्षा और अन्य सुरक्षा, अगर कोई हो, को लागू करने और बेचने में सक्षम होगा।
 - यहां या आवेदन पत्र के तहत मेरे/हमारे किसी भी दायित्व को पूरा करने में मेरी/हमारी ओर से विफलता या अगर कोई परिस्थिति या घटना घटती है जो ऋण और/या बकाया राशि या उसके किसी हिस्से को चुकाने या मेरे/हमारे किसी दायित्व को निभाने की मेरी/हमारी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
 - अगर मेरे/हमारे द्वारा आवेदन में या यहां सोने की सुरक्षा की गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में दिया गया कोई भी अभ्यावेदन, घोषणा या बयान या विवरण झूठा, भ्रामक या अत्यंत पाया जाता है।
 - आरबीएल बैंक को सुरक्षा के रूप में दिए गए सोने के आभूषण नकली हैं और न्यूनतम कैरेट या शुद्धता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं।
 - कुर्की के आदेश और/या गहणाधिकार बनाने के निर्देश जो बैंक ने किसी सरकारी, नियामक या न्यायिक प्राधिकरण से प्राप्त किए हैं।
 - इस घटना में आरबीएल बैंक अकेले ही यह निर्धारित करता है कि घोषणा हुई है।
 - अगर ऋण के लिए सोने की सुरक्षा खतरे में है या उसका प्रभाव खत्म हो गया है या अवैध, अमान्य, अप्रवर्तनीय हो गया है या अन्याय विफल हो गया है या प्रभाव खत्म हो गया है, और/या
 - उधारकर्ता दिवालिया प्रक्रियाओं का सामना कर रहा है या दिवालिया घोषित कर दिया गया है।
 - उधारकर्ता आरबीएल बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी पूर्व-संवितरण की आवश्यकताओं या शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है।
 - इस घटना में कि हममें से कोई भी, उधारकर्ता, भर जाता है या दिवालिया हो जाता है, व्यवसाय में असफल हो जाता है, या दिवालियापन हो जाता है;
 - इसकी शर्तों के अनुसार, मेरे/हमारे द्वारा जारी किए गए निर्देश और/या पीडीसी या कोई अन्य साधन/भुगतान का विधि, यदि बैंक को सभी देय राशि के साथ ऋण का पूरा भुगतान करने से पहले किसी भी समय, किसी भी ईसीएस और/या एसआई आदेश में कोई निकासी, निरसन या भिन्नता/संशोधन (बैंक की लिखित सहमति को छोड़कर) होता है;
 - मेरे/हमारे से किसी के द्वारा, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सोने की सुरक्षा पर कोई शुल्क, गहणाधिकार, बंधक या कोई अन्य बाधा उत्पन्न करने की कोशिश।
 - अगर मैं/हम इसके नियमों और शर्तों के अनुसार, पीडीसी के अनादर के लिए देय किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं कर पाते हैं
 - अगर मैं/हम, किसी भी कारण से, आरबीएल बैंक के पास रखे गए किसी भी पीडीसी का भुगतान बंद करने का निर्देश देते हैं।
- डिफॉल्ट की कोई भी घटना होने पर, आरबीएल बैंक, लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और इन नियमों और शर्तों के तहत आरबीएल बैंक को उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या अन्याय उधारकर्ता को सभी उधारकर्ता बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने के लिए कर सकता है, और/या सोने की सुरक्षा की घोषणा कर सकता है, लागू करने योग्य इन नियमों और शर्तों के संदर्भ में, अनुसरण कर सकता है, और आरबीएल बैंक को, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे सभी कदम उठाने का अधिकार (इन नियमों और शर्तों में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद और चाहे संपूर्ण ऋण या उधारकर्ता के बकाया का कोई भी हिस्सा वापस ले लिया गया हो/लिया गया हो) होगा जो आरबीएल बैंक द्वारा सोने की सुरक्षा को लागू करने और उधारकर्ता के बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक समझे जाए। कानून के तहत उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता को 7 दिन (सात) पूर्व नोटिस के अधीन (नोटिस की वह अवधि जिसे उधारकर्ता उचित नोटिस के रूप में मानता है), उधारकर्ता की लागत पर, आरबीएल बैंक सोने के आभूषणों/प्रतिभूतियों को नीलामी के माध्यम से या अन्य तरीके से बेच सकता है, जैसा कि आरबीएल बैंक सोने के आभूषणों के सभी या किसी भी हिस्से का निपटारा करना उचित समझता है और/या किसी भी बिक्री या निपटारा की कुल आय को आरबीएल बैंक को उधारकर्ता के बकाया के पुनर्भुगतान / भुगतान के लिए लागू कर सकता है।
- अगर वसूल की गई आय बकाया राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बैंक (आरबीएल बैंक के अन्याय करने के अधिकार को किसी भी प्रकार से प्रभावित किए बिना) मुझसे/हमसे शेष राशि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक और अतिरिक्त कार्रवाई कर सकता है। बशर्त कि आरबीएल बैंक किसी अन्य कानूनी कार्रवाई/कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले सोने की सुरक्षा लागू करने/बेचने के उपाय को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं होगा और आरबीएल बैंक को किसी भी समय पर अपने विवेकानुसार मुझसे/हमसे और/या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ ऐसी कानूनी प्रक्रियाएं/कार्रवाई करने/आरंभ करने का हक होगा, चाहे वह किसी अन्य उपाय के पहले, उसी समय या उसके बाद हो, सोने की सुरक्षा की बिक्री/कार्रवाई सहित अन्य उपायों के समायोजन के लिए हो। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि कोई उधारकर्ता होने की स्थिति में हमारा दायित्व संयुक्त और एकाधिक होगा। मैं/हम एतद्वारा बैंक को मुझे/हम में से किसी को भी नोटिस दिए बिना, मेरे/हमारे नाम, डिफॉल्ट विवरण, ऋण, ब्याज विवरण का खुलासा करने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं और सहमति देता हूँ/देते हैं (ऐसा सहमति देना है कि कोई दायित्व जोड़े बिना, सोने की सुरक्षा विवरण, आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/आरबीएल बैंक से प्राप्त सुविधाओं के संबंध में निष्पादित / निष्पादित किए जाने वाले संबंधित दस्तावेज, बड़े पैमाने पर जनता या ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है सोने की सुरक्षा की नीलामी, प्रवर्तन या बिक्री आदि के उद्देश्य में मैं/हम अनुबंध की गोपनीयता और निजता के विशेषाधिकार को छोड़ देते हैं।
- किसी भी अप्रत्याशित घटना के कारण सोने की सुरक्षा को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए आरबीएल बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इन नियमों और शर्तों के अनुसार, अप्रत्याशित घटना को आरबीएल बैंक के उचित नियंत्रण से परे किसी भी परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप, हड़ताल, श्रम व्यवधान, चोरी, डकैती, संधमारी, युद्ध (घोषित या अघोषित), दंगे, विद्रोह, आतंकवादी हमले, या आरबीएल बैंक के उचित नियंत्रण से परे कोई अन्य घटना। यह आगे स्पष्ट किया गया है और सहमति व्यक्त की गई है कि आरबीएल बैंक को देयता केवल तभी उत्पन्न होगी जब आरबीएल बैंक या उसके विधिवत अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण सोने की सुरक्षा को सीधे नुकसान या क्षति पहुंची हो।
- इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सुरक्षा के रूप में दिए गए सोने के आभूषणों उधारकर्ता के बकाया को सुरक्षित करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के आरबीएल बैंक को ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, परिसमाप्त क्षति, शुल्क, लागत और शुल्क के रूप में देय सभी राशियां शामिल हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरबीएल बैंक द्वारा किए गए कोई भी शुल्क शामिल हैं, (a) उक्त सोने के आभूषणों में उधारकर्ता के अधिकार, टाइटल और हित की रक्षा करना और/या आरबीएल बैंक और/या सुरक्षा एजेंट या ट्रस्टी द्वारा सोने के आभूषणों पर कब्जा करना, अगर कोई हो, जिसे आरबीएल बैंक द्वारा अपने स्वविवेक पर, किसी भी तीसरे पक्ष के खिलाफ उक्त सोने के आभूषणों के संबंध में नियुक्त किया जा सकता है; और/या (b) जहां जरूरी हो, किसी भी अन्यायलभ्य के समक्ष उक्त सोने के आभूषणों का उत्पादन करना; और/या (c) उक्त सोने के आभूषणों को बेचना और/या (d) उक्त सोने के आभूषणों के संरक्षण के लिए और/या (e) उक्त सोने के आभूषणों के लिए आरबीएल बैंक अपने विवेक से ऐसा बीमा प्राप्त करना जरूरी समझ सकता है; (e) सुरक्षा एजेंट या ट्रस्टी, अगर कोई हो, को भुगतान करना, जिसे आरबीएल बैंक द्वारा अपने विवेक पर, उक्त सोने के आभूषणों के संबंध में नियुक्त किया जा सकता है; और/या (f) सोने के आभूषणों का भंडारण; और/या (g) परिवहन, अगर कोई उक्त सोने के आभूषण हो और/या (h) ऐसे अन्य शुल्क जो आरबीएल बैंक के विवेक पर लागू हो सकते हैं।
- आरबीएल बैंक गोल्ड सिक्योरिटी लागू होने की तिथि में, प्रारंभिक राशि में किसी भी हानि या कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा या सोने के आभूषणों/सुरक्षा के मूल्य में किसी भी कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आरबीएल बैंक द्वारा उधारकर्ता की ओर से ऐसी बिक्री की जाएगी और आरबीएल बैंक द्वारा अधिकारियों के कार्य / गैर-कार्य के कारण मूल्य में हानि/नुकसान/कमी के लिए आरबीएल बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। उधारकर्ता न तो आरबीएल बैंक द्वारा की गई बिक्री और/या कार्रवाई की नियमितता के संबंध में कोई प्रश्न उठाने का हकदार होगा और न ही आरबीएल बैंक के किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी होगा जो ऐसे कार्यों का प्रयोग होने से हो सकता है और/या जो किसी दालाल या नीलामीकर्ता या अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा आरबीएल बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी कार्य या डिफॉल्ट से उत्पन्न हो सकते हैं।
- यदि आरबीएल बैंक में गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को पुलिस विभाग सहित किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षित किया जाता है, तो उधारकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और ऐसी स्थिति में उधारकर्ता को तुरंत पूरी बकाया राशि और अन्य शुल्क, लागत / हानि का भुगतान करना होगा। इस संबंध में आरबीएल बैंक को भुगतान करना पड़ सकता है।
- उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता/करती है और सहमत है कि आरबीएल बैंक के पास अपनी पसंद के तुरंत पक्ष को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है, जो उन्हें नियमों और शर्तों में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों को करने का पूर्ण अधिकार देता है। इन गतिविधियों में शामिल हैं: (a) सोने के आभूषणों का भंडारण करना, उनका मूल्यांकन करना, ऋणों की निगरानी करना, बैंक को बकाया राशि की वसूली करना और यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई शुरू करना शामिल है, लेकिन यह इन्हें तक सीमित नहीं है। तीसरे पक्ष बकाया राशि एकत्र करने के लिए उधारकर्ता के कार्यालय या निवास पर उपस्थित होने और इन उद्देश्यों के लिए उचित समझी जाने वाली वैध कार्रवाइयों को निष्पादित करने जैसे कार्य भी कर सकते हैं। आरबीएल बैंक अपने मामलों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इन जिम्मेदारियों को सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें नियुक्त तीसरे पक्ष को ऋण और सुरक्षा प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों में बैंक की ओर से कार्य करने का अधिकार है। एतद्वारा उधारकर्ता आरबीएल बैंक, इसके अधिकारियों या तीसरे पक्षों को अगर दूसरे के बीच और किसी भी अन्य कंपनियों/संस्थाओं/सहायक कंपनियों/सहयोगियों/व्यक्तियों के साथ उधारकर्ता से संबंधित सभी या किसी भी जानकारी का उपयोग, खुलासा, आदान-प्रदान या साझा करने के लिए सहमति देता है/देती है और/या अतिरिक्त करता है/करती है। ऋणदाता आरबीआई बैंक और/या ऐसे थर्ड स्ट्राइक को उपज जानकारी के उपयोग या साझा करने के लिए निजीकरण या अधिकारिता का वजन नहीं देता।
- मैं/हम सहमत हूँ/हम कि कोई भी नोटिस (गोल्ड सिक्योरिटी की बिक्री की सूचना के साथ) आवेदन पत्र में उल्लिखित मेरे/हमारे पते पर भेजा जा सकता है और इसके माध्यम से भेजा जा सकता है; (a) देय (विज्ञापन); (b) हाथ से भेजा गया; या (c) आवेदन पत्र में उल्लिखित ईमेल पते; या (d) मेरे/हमारे मोबाइल फोन पर छोटे संदेश संबंधी सेवा (एसएमएस); (e) किसी अन्य डाक विधि द्वारा; या (f) क्रूरियर द्वारा। ऐसी सेवा को पंजीकृत नहीं (विज्ञापन) या डाक सेवा के किसी दूसरी विधि से भेजने के मामले में, ऐसी पोस्टिंग के चौथे दिन की समाप्ति पर और हाथ से या क्रूरियर द्वारा भेजने के मामले में उस तिथि को प्रभावी माना जाएगा जिस दिन यह किया गया था, यदि बैंक द्वारा प्राप्त होने पर पुष्टि करने वाली मेरी किसी भी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ईमेल द्वारा दिया या बनाया गया हो, यदि, प्रेषण की पुष्टि करने वाली ट्रांसमिशन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रतिकृति द्वारा दी गई या बनाई गई हो, यदि इस खंड 26 में, ऐसा कोई नोटिस निर्दिष्ट विधियों में से एक से अधिक बार भेजा जाता है जो भी सबसे पहले हो। मैं/हम एतद्वारा बैंक को अपने/हमारे डाक पते, ईमेल आईडी, फोन और मोबाइल नंबर(नंबरों) में किसी भी बदलाव के बारे में हर समय लिखित रूप से सूचित करने और ऐसी किसी भी सूचना के बदलाव के लिए बैंक को दी गई सूचना पर बैंक की लिखित स्वीकृति प्राप्त करने का वजन देता हूँ/देते हैं। बैंक द्वारा मुझे/हमें उपरोक्त किसी भी पते, ईमेल आईडी, फोन और मोबाइल नंबर पर कोई भी नोटिस वैध होगा और बैंक द्वारा मुझे/हमें दिया गया उचित नोटिस माना जाएगा और बिना रिटर्न की परवाह किए बिना विधिवत वितरित किया जाता है। यहां तक कि अगर डाक अधिकारी उधारकर्ता की अनुपलब्धता का संकेत देते हैं, तो भी बैंक अन्य माध्यमों से आगे नोटिस जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। उधारकर्ता डिलीवरी न होने पर आपत्तियों को माफ कर देता है, यह स्वीकार करता है कि प्रदान किया गया कोई भी संपर्क विवरण सटीक होना चाहिए और बैंक को लिखित रूप में अपडेट किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि नोटिस को प्राप्त माना जाता है, जिससे बैंक को नोटिस में मिलने की स्थिति में आगे के दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है। उधारकर्ता नॉन-डिलीवरी का विरोध करने का अधिकार त्याग देता है, यह समझते हुए कि अपडेट संपर्क जानकारी का उचित संचार उनकी जिम्मेदारी है।

27. उधारकर्ता आरबीएल बैंक द्वारा, उक्त ऋण, उक्त ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए या स्वीकार किए जाने वाले दायित्वों और उसके निर्वहन में उधारकर्ता द्वारा किए गए डिफॉल्ट, उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और डेटा का खुलासा करने के लिए सहमति देता है, यदि कोई हो। :
- आरबीआई और क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड ("सिबिल") और आरबीआई द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी;
 - ऋणदाता को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("संहिता") की धारा 3 (13) में दी गई 'वित्तीय जानकारी' का खुलासा/प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति दी जाती है, जिसे संशोधित संहिता के तहत बनाए गए उपयुक्त विनियमों/नियमों के साथ पढ़ा जाता है, और समय-समय पर, बैंक से प्राप्त क्रेडिट/वित्तीय सुविधाओं के संबंध में, किसी भी 'सूचना उपयोगिता' ("आईयू") को संहिता की धारा 3 (21) में दिए गए उपयुक्त विनियमों के अनुसार लागू किया जाता है जो संहिता के तहत तैयार किए गए हैं, और आरबीआई द्वारा समय-समय पर बैंकों को जारी किए गए निर्देश और इसके द्वारा विशेष रूप से 'संबंधित 'आईयू' द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी को तुरंत प्रमाणित करने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है।
28. उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) इस बात से सहमत हैं और वचन देता है/देते हैं कि आरबीआई, सिबिल और इस प्रकार प्राधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी ऋणदाता द्वारा बताई गई उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग और संसाधित उस तरीके से कर सकती है, जैसा कि वे उचित मानें और विचार करने के लिए प्रस्तुत करें, जैसा कि संसाधित जानकारी और डेटा या उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद, बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए, आरबीआई द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- मैं/हम यह समझना/समझती हूँ/समझते हैं कि मुझे/हमें ऋण/अग्रिम राशि/अन्य गैर-फंड आधारित ऋण सुविधा प्रदान करने से संबंधित एक पूर्व शर्त के तौर पर, आरबीएल बैंक को मेरे/हमारे संबंध में जानकारी और डेटा, मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऋण सुविधा, मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किए गए दायित्व के संबंध में बैंक द्वारा प्रकटीकरण और उसके निर्वहन में मेरे/हमारे द्वारा की गई कोई चूक, यदि कोई हो, के लिए सहमति की आवश्यकता है। इसलिए, मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं और बैंक द्वारा सभी या ऐसे किसी भी प्रकटीकरण के लिए सहमति देता हूँ/देते हैं;
- मुझे/हमसे संबंधित जानकारी और डेटा;
 - मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त/प्राप्त की जाने वाली किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा
 - यदि मेरे/हमारे ऐसे दायित्वों के निर्वहन में मेरे/हमारे द्वारा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) और भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार और सिबिल द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य एजेंसी के प्रति कोई लापरवाही होती है, जिसे बैंक उचित और आवश्यक समझे और ऐसी कोई भी एजेंसी बैंक द्वारा प्रकटी की गई उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग, प्रसंस्करण कर सकती है और सिबिल और इस प्रकार अधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं को, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है, संसाधित जानकारी और उनके द्वारा तैयार किए गए डेटा या उत्पादों को विचारार्थ पेश कर सकता है।
29. यह नियम और शर्तें भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगी। दोनों पक्ष इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि ऋण, सुरक्षा, नियम और शर्तों और अन्य लेन-देन दस्तावेजों से मिलने वाले और/या संबंधित सभी विवाद उस शहर/स्थान की अदालतों और न्यायाधिकरणों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे जिसमें आरबीएल बैंक की वह शाखा स्थित है जहाँ से संवितरण किया गया है, बशर्त कि उपरोक्त विशिष्टता उधारकर्ता को बाध्य करेगी और आरबीएल बैंक किसी अन्य अदालत और/या किसी अन्य स्थान पर सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण में इसे आगे बढ़ाने का हकदार होगा। आरबीएल बैंक, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत विवाद को ऋण वसूली अधिकरण के रूप में जानने का हकदार होगा।
- उधारकर्ता एतद्वारा उधारकर्ता यह पुष्टि करता है/करती है कि ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत जहाँ लागू क्षेत्राधिकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण वसूली अधिकरण नहीं है। सभी विवादों, मतभेदों, दावों, जो इन नियमों और शर्तों से प्राप्त हैं, उन्हें आरबीएल बैंक द्वारा नियुक्त प्राप्त एकमात्र पंच विधिवत के रूप में जाना जाएगा। माध्यस्थता और सलह अधिनियम 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के अनुसार पंचाट आयोजित की जाएगी। पंचाट या तो मुंबई, दिल्ली या चेन्नई में ही आयोजित की जाएगी। पंचाट की कार्यवाही में सिर्फ अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग किया जाएगा। पंचाट का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
30. आरबीएल बैंक को एक बैंकर का लियन और/या बैंकर का विरुद्धाधिकार कार्य करने का अधिकार होगा उधारकर्ता के सभी धन और अन्य संपत्ति और दस्तावेजों के खिलाफ, जो मौजूदा या भविष्य में आरबीएल बैंक या उसके पास डिपॉजिट हैं, चाहे वह किसी सामान्य या विशेष खाते या डिपॉजिट, या सुरक्षित रखने के लिए, या अन्यथा; और प्रत्येक ऐसा लियन और विरुद्धाधिकार उधारकर्ता की दिशा में किसी भी दावे के संबंध में बिना उससे मांग किए या बिना नोटिस के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि यदि उधारकर्ता का ऋण असुरक्षित होता, और यह सभी संपत्ति / क्रेडिट शेष उधारकर्ता के किसी अन्य खाते में या आरबीएल बैंक की निगरानी या देखभाल में उधारकर्ता की संपत्ति या प्राधिकरण होंगे, चाहे वह सुरक्षित रखने के लिए हो या न हो। यदि आरबीएल बैंक द्वारा मांगे जाने पर, स्वीकृत ऋण के तहत देय राशि निर्धारित समय के अंदर चुकाई नहीं जाती है, तो उधारकर्ता के किसी भी खाते में क्रेडिट शेष को देय राशि में समायोजित किया जा सकता है। कोई भी घाटे की होने पर, आरबीएल बैंक द्वारा राशि का घाटा उधारकर्ता से वसूल किया जा सकता है। आरबीएल बैंक किसी भी अन्य दस्तावेज/समझौते के तहत उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा आरबीएल बैंक पर बकाया किसी भी ऋण को समायोजित करने, उधारकर्ता द्वारा आरबीएल बैंक में रखे गए किसी भी खाते के शेष पर किसी भी डिपॉजिट को समायोजित करने और/या किसी खाते(खातों) के शेष में जमा धन को स्थानांतरित करने के लिए उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को बिना किसी नोटिस के भुगतान करने का हकदार है। आरबीएल बैंक के निर्णय/कार्रवाई/नीति के बावजूद, यदि कोई हो, किसी भी डेबिट एंटी को उलटने या ब्याज डेबिट न करने या आरबीएल बैंक की पुस्तकों में या बही खाते में या खाते के विवरण या किसी भी खाते में, किसी भी अवधि के लिए कोई डेबिट एंटी न करने के लिए, उधारकर्ता आरबीएल बैंक को संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने के लिए बाध्य और उत्तरदायी होगा, ब्याज, ब्याज कर, अतिरिक्त ब्याज, परिसमापन का नुकसान, कमीशन, लागत, शुल्क और खर्च ऐसी दरों पर जो आरबीएल बैंक द्वारा समय-समय पर बिना जार्न, नोटिस या किसी भी समय आरबीएल बैंक द्वारा सूचना दिए बिना प्रचलित या निश्चित हैं, पूरा बकाया, डेबिट शेष और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज, ऋणदाता द्वारा वसूली या एकत्र करने की तिथि तक मासिक छूट के साथ ऐसी सभी राशियों और ब्याज, दंड का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।
31. आरबीएल बैंक को उधारकर्ता को सूचित करके सभी/किसी भी स्वीकृत शर्तों को वापस लेने/संशोधित करने या नई शर्तें निर्धारित करने का अधिकार होगा। नियम और शर्तें और यहाँ उल्लिखित कोई भी अन्य दस्तावेज, यहाँ उल्लिखित या उपयुक्त सभी नियमों और शर्तों को एकीकृत करते हैं, और अनुसूची, समझौतों के उन प्रावधानों को छोड़कर, इसके विषय के संबंध में सभी मौखिक बातचीत और पूर्व लेखन को प्रतिस्थापित करते हैं, नियमों और शर्तों से पहले जारी या निष्पादित सुरक्षा दस्तावेज (यदि कोई हो) जो इन नियमों और शर्तों के अतिरिक्त और पूरक हैं, और समान नहीं हैं या उनके विपरीत हैं।
32. आरबीएल बैंक को ऋण देने से पहले या बाद में किसी भी समय उचित मानने पर किसी भी अन्य नियम और शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार होगा, जो जो मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा। बैंक के सभी कानूनी अधिकार, शक्तियाँ और उपाय यहाँ निर्धारित अधिकारों, शक्तियों और उपायों के अतिरिक्त हैं। मैं/हम यह समझना/हूँ/समझते हैं कि बैंक के पास इस आवेदन के साथ जमा की गई फोटो और दस्तावेजों को अपने पास रखने का अधिकार सुरक्षित है और वह इन्हें मुझे/हमें नहीं लौटाएगा। बैंक, मुझे/हमें बिना बताए या किसी भी सूचना के बिना, किसी तीसरे पक्ष या व्यक्ति को, जैसा कि बैंक निर्णय ले, किसी भी और सभी सुविधाओं को बेचने, स्थानांतरित करने, सौंपने या सुरक्षित करने का पूरी तरह से हकदार और पूर्ण शक्ति और प्राधिकार रखता है, बकाया राशि, किसी भी अधिकार, लाभ और/या दायित्वों को किसी भी तरीके से, पूर्ण या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों पर जो बैंक तय कर सकता है। ऐसा कोई भी कार्य मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा। मैं/हम बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से के हकदार नहीं होंगे।
33. मैं/हम यह समझना/हूँ/समझते हैं कि ऋण की मंजूरी पूरी तरह से बैंक के विवेकाधीन है और इस बात पर निर्भर है कि मैंने/हमने बैंक द्वारा आवश्यक करार दी गई सभी जरूरी प्रतिभूति दस्तावेज, संबंधी और अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। मैं/हम बैंक को ऐसे क्रेडिट की जांच करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं, जिसे वह अपने स्वविवेक से आवश्यक मानते हैं और बैंक को क्रेडिट मूल्यांकन/साझा करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अपने रिकॉर्ड में ऐसी या कोई अन्य जानकारी जारी करने के लिए भी अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं। मैं/हम बैंक को किसी अन्य वित्त कंपनी/बैंक/पंजीकृत क्रेडिट ब्यूरो के साथ मेरे/हमारे पिछले क्रेडिट के संबंध में कोई भी पूछताछ करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं और साथ ही बैंक को किसी अन्य बैंक/वित्त कंपनी/पंजीकृत क्रेडिट ब्यूरो को मेरे/हमारे पिछले क्रेडिट का विवरण प्रदान करने के लिए भी अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं। यह माना जाएगा कि उधारकर्ता ने ऋण शर्तों पर बिना शर्त सहमति दिया है और शर्तों को स्वीकार किया है तथा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके प्रतिनिधित्व किया है। उपरोक्त नियम और शर्तें इस ऋण के संबंध में बैंक द्वारा स्वसंक्राइब किए गए प्रतिज्ञा कार्ड / आवेदन पत्र / किसी भी अन्य शर्तों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार होंगी, उनके विरुद्ध नहीं होंगी।
34. मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने इस ऋण पर लागू नियमों और शर्तों को प्राप्त कर लिया है, पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और बिना किसी पूर्व सूचना के बिना शर्त के किसी भी अतिरिक्त नियम और शर्तों को स्वीकार करता हूँ / करते हैं जो बैंक किसी भी समय निर्धारित कर सकता है और मैं/हम ऐसे संशोधित नियमों और शर्तों से बाध्य रहूँगा/रहेंगे। मैं/हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ा है और/या स्वतंत्र रूप से मेरी/हमारी स्थानीय भाषा में इनका सही अनुवाद किया गया है और मैंने/हमने अपनी संतुष्टि के अनुसार इसे पूरी तरह से समझ लिया है।

उधारकर्ता के हस्ताक्षर

श्री/सुश्री _____
पता _____

तिथि

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

स्थान _____

स्थानीय भाषा में घोषणा / अनपढ़ व्यक्ति से अनुलग्नक

मैं/हम, पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि हमने पूरा आवेदन पत्र और सोने के आभूषणों पर ऋण के लिए घोषणा और नियम एवं शर्तों के सभी खंड अच्छे से समझ लिए हैं, यह मेरी उपस्थिति में भरे गए हैं। मैं नियम एवं शर्तों में निर्धारित शर्तों सहित सभी शर्तों से बाध्य रहूँगा/रहूँगी। नियम और शर्तें मुझे मेरी समझ में आने वाली भाषा में विधिवत समझा दी गई हैं और मैंने उक्त नियम और शर्तों के विभिन्न खंडों का पूरा मतलब समझ लिया है। मैंने अपने अंगूठे का निशान लगा दिया है/ आवेदन पत्र की सामग्री और नियम एवं शर्तों को समझने के बाद स्थानीय भाषा में हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस आवेदन पत्र और नियम एवं शर्तों की सामग्री को पढ़ा गया और श्री/श्रीमती को अनूदित करके बताया गया _____

_____ (उधारकर्ता का नाम) भाषा _____ में (क्षेत्रीय भाषा में रखा जाना है), यह वह भाषा है जिसे वह जानता/जानती हो और उसने इसे समझ लिया है और आवेदन पत्र की सामग्री और नियम और शर्तों को स्थानीय भाषा में समझने के बाद अपने अंगूठे का निशान लगाया है/ हस्ताक्षर किए हैं।

मेरे द्वारा व्याख्या की गई और मेरी उपस्थिति में निष्पादित किया गया

मेरे द्वारा समझा गया (उधारकर्ता का विवरण)

मेरी उपस्थिति में निष्पादित

हस्ताक्षर _____ हस्ताक्षर _____ हस्ताक्षर _____

नाम _____ नाम _____ नाम _____

पता _____ कर्मचारी का कोड _____

स्थान _____ तिथि

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

डिमांड प्रॉमिसरी नोट

₹ _____

तिथि:

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

मांग पर, मैं _____

पुत्र श्री/पत्नी श्री _____ आरबीएल बैंक को भुगतान करने का वचन देता/देती

हूँ या इस दिन से पूर्ण भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष _____ % की दर से ब्याज के साथ प्राप्त मूल्य के लिए रुपये _____ की राशि का

आदेश देता हूँ।

उधारकर्ता का नाम _____

₹ 1
राजस्व

(राजस्व मुहर के आर-पार उधारकर्ता को हस्ताक्षर करने हैं)

निर्देश :

(1) दस्तावेज़ जो पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं (यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और बिंदु 20 भरा है तो आवश्यक नहीं है) :-

क्रमांक.	दस्तावेज़ की प्रकृति	दस्तावेज़ कोड	पहचान का प्रमाण	पता का प्रमाण
A	व्यक्तिगत और एचयूएफ के लिए			
1	आधार कार्ड	1	हाँ	हाँ
2	व्यक्ति की फोटो वाली बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक	2	हाँ	हाँ
3	निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र	3	हाँ	हाँ
4	व्यक्ति की फोटो वाला राशन/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड	4	हाँ	हाँ
5	ड्राइविंग लाइसेंस	5	हाँ	हाँ
6	पासपोर्ट	6	हाँ	हाँ
7	पेंशन धारक का फोटो कार्ड	7	हाँ	हाँ
8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) जॉब कार्ड	8	हाँ	हाँ
9	व्यक्ति की फोटो वाला जाति प्रमाण-पत्र या स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	9	हाँ	हाँ
10	फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुबंध अ के अनुसार संसद के सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगर निगम पार्षद या एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया पहचान / पते का प्रमाण-पत्र	10	हाँ	हाँ
11	फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुबंध बी के अनुसार नियोक्ता से प्रमाणपत्र	11	हाँ	हाँ
12	फोटो सहित किसान पासबुक	12	हाँ	नहीं
13	हथियारों का लाइसेंस	13	हाँ	नहीं
14	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना/ भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	हाँ	नहीं
15	सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान कार्ड सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा	15	हाँ	नहीं
16	घर के टेलीफोन का बिल (3 महीने से अधिक पुराना ना हो)	16	नहीं	हाँ
17	घर के टेलीफोन का बिल (3 महीने से अधिक पुराना ना हो)	17	नहीं	हाँ
18	पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना ना हो)	18	नहीं	हाँ
19	उपभोक्ता का गैस कार्ड/बुक या पाइप गैस बिल (3 महीने से अधिक पुराना ना हो)	19	नहीं	हाँ
20	बैंक खाते का विवरण (3 महीने से अधिक पुराना ना हो)	20	नहीं	हाँ
21	क्रेडिट कार्ड का विवरण (3 महीने से अधिक पुराना ना हो)	21	नहीं	हाँ
22	डिपॉजिटरी खाते का विवरण (3 महीने से अधिक पुराना ना हो)	22	नहीं	हाँ
23	संपत्ति के पंजीकरण के दस्तावेज़	23	नहीं	हाँ
24	सरकार का आवास आवंटन पत्र	24	नहीं	हाँ
25	व्यक्ति के नाम सहित जीवनसाथी का पासपोर्ट	25	नहीं	हाँ
26	संपत्ति कर के भुगतान की रसीद (एक साल से पुरानी न हो)	26	नहीं	हाँ
B	व्यक्तियों के संघ (ट्रस्ट) के लिए			
	ट्रस्ट डीड की कॉपी या दान आयुक्त द्वारा जारी की गई पंजीकरण प्रमाणपत्र की कॉपी	27	हाँ	हाँ
C	व्यक्तियों के संघ (ट्रस्टों के अलावा) या व्यक्तियों के निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए			
	समझौते की कॉपी या अनुदान आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी या ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता स्थापित करने वाले किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग से प्राप्त कोई अन्य दस्तावेज़।	28	हाँ	हाँ

- यदि लेनदेन नाबालिग के नाम पर किया गया है, ऐसे नाबालिग के माता-पिता/अभिभावकों में से किसी की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त दस्तावेज़ों में से कोई भी नाबालिग घोषणाकर्ता के लिए पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा, और घोषणा पर माता-पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- एचयूएफ के लिए एचयूएफ के कर्ता के नाम पर कोई भी दस्तावेज़ आवश्यक है।
- यदि लेन-देन एक से अधिक लोगों के नाम पर किया गया हो, तो लोगों की कुल संख्या लिखनी चाहिए। क्रमांक 18 और लेन-देन की कुल राशि अंकों में। क्रमांक 16 यदि कॉलम 22ब में अनुमानित कुल आय कर के दायरे में नहीं आती है उससे अधिक है, तो व्यक्ति को पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए, बिंदु 21 भरकर आवेदन जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।